राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.4 (ई) (1) (6)/अलेसे–III/ 12832-41 दिनांक :– 10-3-2014

कार्यालय आदेश

श्री भीखाराम मेघवाल को लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 1990 में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर चयनित होने पर विभाग के आदेश क्रमांक 143/93–94 दि॰ 07.12.1993 के द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति प्रदान की जाकर दिनांक 03.01.1994 को हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जोधपुर में प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति देने के आदेश जारी किये गये थे एवं विभागीय आदेश क्रमांक एफ.4 (ई) रिजर्व (192)(98)/अलेसे–सं:/ दिनांक 25.09.1999 (आदेश संख्या 65/99–2000) के द्वारा श्री भीखाराम मेघवाल, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय पंचायत समिति, बालेसर (जोधपुर) को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु राज्य सिविल सर्विसेज़ विभागीय परीक्षा नियम, 1959 के नियम 19 के अन्तर्गत अधिकतम 3 अवसर प्रदान करने पर भी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 एवं राजस्थान सिविल सर्विसेज़ विभागीय परीक्षा नियम, 1959 के नियम 22 (4) के अन्तर्गत श्री मेघवाल को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से तुरन्त प्रभाव से पृथक (डिस्चार्ज) किया गया था।

विभाग के उक्त आदेश दिनांक 25.09.1999 के विरूद्ध श्री भीखाराम ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4066/1999 दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने उक्त याचिका पर पारित निर्णय दिनांक 18.11.2013 के द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 25.09.1999 को अपास्त करते हुए याचि को सेवा में पुनः स्थापन का अधिकारी घोषित करते हुए पुनः स्थापन के आदेश दिये हैं।

वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग के पत्र क्रमांक एफ.7 (57) एफडी/एलसी/1997 पार्ट दिनांक 31.01.2014 के अनुसार उक्त प्रकरण में सक्षम स्तर से पत्रावली संख्या प.1 (97) विधि/5/2001/जेडीपीआर में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2013 के विरूद्ध आगे एसएलपी दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया है तथा निर्णय की पालना करने के निर्देश दिये हैं।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 18.11.2013 की पालना में आदेश दिनांक 25.09.1999 को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए श्री भीखाराम मेघवाल को पुनः कनिष्ठ लेखाकार के पद पर बहाल किया जाता है। श्री भीखाराम मेघवाल को सेवा समाप्ति की दिनांक से पुनः कार्यग्रहण करने तक की तिथि तक की अवधि का कोई भी वेतन भत्ते का भुगतान देय नहीं होगा। श्री भीखाराम की सेवा समाप्ति से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को सेवा की निरन्तरता में मानते हुए वरिष्ठता आदि का लाभ देय होगा।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.4 (ई) (1) (6)/अलेसे–III/ 12832-41 दिनांक :– 10-3-2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. वरिष्ठ विधि अधिकारी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग को पत्र क्रमांक एफ.7 (57) एफडी/एलसी/1997 पार्ट दिनांक 31.01.2014 की पालना में।
5. श्री भीखाराम मेघवाल पुत्र श्री लुम्बाराम ग्राम पोस्ट भोजासर, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर में उपस्थित होकर कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। (रजिस्टर्ड)
6. विशेषाधिकारी, कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट हेतु)।
7. निजी सहायक निदेशक महोदया।
8. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट।